



यूजेवीएन लिमिटेड  
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)  
**U J V N Limited**  
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)  
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)  
दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: [www.ujvnl.com](http://www.ujvnl.com) CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या: 1228/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु-3/एम-4

दिनांक 27-02-17

विषय:- चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की मूल प्रति संलग्न किये जाने के सम्बन्ध में

समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक  
यूजेवीएन लिमिटेड

प्रायः देखा गया है कि यूजेवीएन लि0 के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों को भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते समय प्रकरण में संलग्न किये जाने वाले सम्बन्धित परामर्श पत्र/डिस्चार्ज समरी एवं अन्य अभिलेखों की छाया प्रतियां संलग्न करते हैं। कई बार यह भी पाया गया है कि कार्मिक प्रकरण में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की रंगीन छाया प्रतियां भी संलग्न करते हैं, जिससे अभिलेख के मूल अथवा छाया प्रति में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

यह भी पाया गया है कि कार्मिक अपने पास उपलब्ध मूल प्रति में कई स्थानों पर अपने स्तर से संशोधन कर उसकी छाया प्रति आगामी प्रकरणों में संलग्न कर रहे हैं।

अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों के साथ अब छाया प्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी बल्कि समस्त अभिलेखों की केवल मूल प्रति ही स्वीकार की जायेगी।

इस सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/कार्मिकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

1. अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
2. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून.
3. निदेशक (परिचालन)/ (परियोजनाएं)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/ (वि0/या0)/ (परि0एवं अनु0)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
5. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
6. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद-उत्तराखंड, 21-फील्ड होस्टल, उर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून
10. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, फतेहपुर रोड, हरबर्टपुर (देहरादून)

27/2/17  
(आशिष कुमार जैन)  
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

3/3/17  
S.M.A.C.

W.No. 84 ... / DGM (U. J. N. L.)

File Mark N-2

Date 3.3.2017

Pl. upload on  
website

6/3/17





# यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## UJV N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)

दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फ़ैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: [www.ujvnl.com](http://www.ujvnl.com) CIN No. U40101UR20015GC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक: 1232/यूजेवीएन लि/05/कार्मिक/अनु0-3/एम-4

दिनांक 27-02-17

### कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, डा0 डी0एम0 काला, कान-नाक-गला रोग विशेषज्ञ, 5-एम0के0पी0 कालेज के सामने, न्यू रोड, देहरादून को यूजेवीएन लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उनकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में भर्ती/बाहय रोगी की हैसियत से कान, नाक एवं गला रोग (एकल विशिष्टता) सम्बन्धी उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन मान्यता प्रदान की जाती हैं:-

1. उक्त चिकित्सालय में भर्ती/बाहय रोगी के रूप में उपचारार्थ हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 2088-एनजी/11/एसईबी(चतुर्थ)-चतुर्थ-29एनजी-11/78 दिनांक 24.05.1978 एवं यूजेवीएन लिमिटेड के आदेश सं0 7059/उजविनिलि/एचआर/एम-4 दिनांक 01.10.2007 सपटित आदेश सं0 8939/उजविनिलि/एचआर/एम-4 दिनांक 03.10.2008 एवं समय समय पर जारी एतदविषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।
2. उक्त चिकित्सालय संलग्न दर सूची में दर्शायी गई दरों पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा। चिकित्सालय को यूजेवीएन लि0 द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होगा।
3. यह आदेश दिनांक 01.03.2017 से 28.02.2019 तक की अवधि के लिये प्रभावी होंगे। उक्त प्रस्तर-3 में वर्णित दर सूची दिनांक 28.02.2019 तक की अवधि के लिये मान्य होगी तथा चिकित्सा दर सूची में दर्शाई गई दरें इस अवधि में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।
4. किसी कार्मिक द्वारा चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत की गई दर सूची में उल्लिखित Total Laryngectomy एवं Cochlier Implant सम्बन्धी उपचार कराये जाने हेतु चिकित्सक के मतानुसार अत्यन्त आवश्यक होने की स्थिति में यूजेवीएन लि0 मुख्यालय से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये कार्मिक को उचित माध्यम से चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए यूजेवीएन लि0 मुख्यालय को आवेदन करना होगा, जिसकी पूर्वानुमति दिये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक का होगा।
5. उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शाएगा:-  
"यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों के लिये अधिकृत चिकित्सालय"
6. चिकित्सालय द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से की जायेगी और उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि मांग किये जाने पर चिकित्सालय द्वारा यूजेवीएन लि0 मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी:-
  1. रोगी का नाम
  2. यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं हैं, तो उसके पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पिता/माता का नाम व रोगी से सम्बन्ध (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
  3. चिकित्सालय में उपचार प्रारम्भ करने एवं समाप्त करने की तिथि
  4. कर्मचारी का वेतनमान/मूल वेतन तथा तैनाती स्थान
  5. रोग का विवरण
  6. कुल प्राप्त की गई धनराशि
  7. निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

ABEETI  
Pl. upload on  
website  
11/3/17  
S.M.T.

